एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को एसओपी तय

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार ने उद्यमियों को एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय कर दी है।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय कर दी है। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। इसके तहत यदि किसी आवेदक के पास दो विनिर्माण इकाइयों हैं। जिनमें से प्रथम इकाई का आउटपुट दूसरी इकाई का इनपुट है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम विनिर्माण इकाई जो कि दूसरी इकाई हेतु इनपुट उत्पादन करती है एसजीएसटी. प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उद्यमियों को मिलने वाली एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में नियम तय कर दिए हैं। आवेदक के राज्य में स्थित उनके क्रेताओं / डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आवेदक इकाई द्वारा उत्पादित माल की अन्तरप्रान्तीय सप्लाई किये जाने की स्थिति में एसजीएसटी की धनराशि के जितने अंश का समायोजन ऐसी अन्तरप्रान्तीय सप्लाई पर देय आईजीएसटी के विरुद्ध किया जायेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए एक अरब जारी

गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाले डवलपरों को एक अरब रुपये एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए दी जाएंगे। चूंकि क्योंकि जीएसटी की दर 12 से बढ़ कर 18 प्रतिशत हो गई है। इसलिए छह प्रतिशत की बढ़ोतरी के रूप में यह धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा इन्हीं निर्माणकर्ताओं को पांच अरब की धनराशि वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंड) के लिए दी जाएगी।